न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 85/2020

प्रार्थी–

1. भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत , निवासी– डेह तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 21/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 में भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 008268702233 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1587484, पेनकार्ड संख्या ऐसीएसपीआर1565पी , आधार कार्ड संख्या 2512 6672 2796 , भामाशाह कमांक वाईडीडब्लूएफवाईएफबी, भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 51062638725 मे प्रार्थी का सही नाम भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 27.04.2022 को मय हल्का आईएलआर व पटवारी डेह की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 स्थायी में भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह खातेदार दर्ज है। जबकि

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी के मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी भंवरसिंह उर्फ मानसिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 008268702233 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1587484, पेनकार्ड संख्या ऐसीएसपीआर1565पी , आधार कार्ड संख्या 2512 6672 2796 , भामाशाह क्रमांक वाईडीडब्लूएफवाईएफबी, भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 51062638725 में नाम भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में भंवरसिंह उर्फ मानसिंह नाम से पुकारने के कारण एवं प्रार्थी स्वंय द्वारा न्यायालय में दायर वाद के निर्णय उपरांत उस निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामान्तकरण तथा खसरा नंबर 892 नये राजस्व ग्राम किशनपुरा की भूमि वादी के पिता अचलसिंह के नाम दर्ज थी। अचलसिंह की मृत्यू के पश्चात् ग्राम डेह के नामान्तकरण संख्या 3575 द्वारा प्रार्थीगण वगैरह के नाम दर्ज की गई। उसके पश्चात् विभाजन द्वारा नामान्तकरण संख्या 3597 द्वारा वादीगण के खसरा नंबर 891/1 रकबा 04.10 बीघा दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी द्वारा जरिये न्यायालय निर्णय से दो खसरों में नाम लिखवाया गया था उसी अनुसार उसके आगे विरासत का नामान्तकरण पहले के खाते में अंकित नामों अनुसार ही दर्ज किया गया। उपस्थित मौतबिरानों ने भवंरसिंह उर्फ मानसिंह तथा भंवरसिंह दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी डेह तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 008268702233 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1587484, पेनकार्ड संख्या ऐसीएसपीआर1565पी , आधार कार्ड संख्या 2512 6672 2796 , भामाशाह क्रमांक वाईडीडब्लूएफवाईएफबी, भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 51062638725 तथा मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 में प्रार्थी का नाम भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि न्यायालय के निर्णय एवं विभाजन के नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 008268702233 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1587484, पेनकार्ड संख्या ऐसीएसपीआर1565पी , आधार कार्ड संख्या 2512 6672 2796 , भामाशाह क्रमांक वाईडीडब्लूएफवाईएफबी, भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 51062638725 की फोटो प्रति में प्रार्थी भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह एवं भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तकरण एवं तथा शेष मुतदाविया खसरान् में उसी अनुसार भरे गये विभाजन के नामान्तकरण के समय भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ मानसिंह दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि भंवरसिंह पुत्र मानसिंह पुत्र अचलसिंह एवं भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 979 के खसरा नम्बर 892 , खतौनी सं. 980 के खसरा नंबर 123 एवं ग्राम किशनपुरा के खतौनी सं. 151 के खसरा नंबर 829 में दर्ज खातेदार नाम भंवरसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र अचलसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम भंवरसिंह पुत्र अचलसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।